

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 16TH MARCH, 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 16TH March, 1998

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.602(E) dated the 12th August, 1993 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12, the Medical Care to old persons and Leprosy patients, provision of home to old persons, rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps of Helpage India, C-14, Qutab Institutional Area, New Delhi-110016 as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1994-95 which was extended for a further period of three assessment years ending with assessment year 1998-99 vide S.O.405(E) dated the 3rd May, 1995;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of the Medical Care to old persons and Leprosy patients, provision of home to old persons, rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps of Helpage India, C-14, Qutab Institutional Area, New Delhi-110016, at the estimated cost of rupees one thousand two hundred ninety five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999-2000.

(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10558
F.No. NC-9/98

में दिनांक 16 मार्च, 1998 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली. 16 मार्च, 1998

अधिसूचना

संख्या 131 : केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क म के स्पष्टीकरण के खण्ड 131 के साथ पठित उपधारा 111 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं० संख्या 602 131 दिनांक 12 अगस्त, 1993 द्वारा हेल्थ इंडिया, सी-14, कुतुब इस्टैट्यूशन एरिया, नई दिल्ली की बुढ़ों एवं कुष्ठ रोगियों की चिकित्सीय, देखभाल, बुढ़ों हेतु आवास की व्यवस्था, निम्नलिखित बुढ़ महिलाओं का पुनर्वास, नेत्र-शिविर चलानेकी योजना को क्रमसं० 12 पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994-95 से शुरु होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था, जिसे दिनांक 3 मई, 1995 संख्या 405 131 के द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए बढ़ाया था ।

और चूंकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के अधिनियम 11 ड के उप नियम 151 के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

अतएव केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क म के स्पष्टीकरण के खण्ड 131 के साथ पठित उपधारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हेल्थ इंडिया, सी-14, कुतुब इस्टैट्यूशन एरिया, नई दिल्ली-110016 की बुढ़ों एवं कुष्ठ रोगियों की चिकित्सीय

देखभाल, वृद्धों हेतु आवास की व्यवस्था, निराश्रित वृद्ध महिलाओं का पुनर्वास, क्षेत्र शिविर चलाने की परियोजना या स्कीम को मात्र एक हजार दो सौ पचाहत्ते लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999-2000 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।



।वी०के० सहगल।

उप सचिव, भारत सरकार

सं० 10558

पुनर्वास रतन 9/98
